



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

### सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-3759/MP/599/2024-RO-BH (RU-I)

दिनांक: 25.02.2025

श्री अजय देव शर्मा,  
कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पांडुर्णा,  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,  
कलेक्टर कार्यालय पांडुर्णा,  
पांडुर्णा -480334  
मध्य प्रदेश  
ई-मेल: dm.pandhurna@mp.gov.in

विषय: शासकीय भूमि प्राथमिक शाला मैदान पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर पक्का मकान निर्माण किया गया, उसे हटाने के संबंध में- श्रीमती समरबतीबाई धुर्वे, सरपंच, ग्राम पंचायत- चिमनखापा, तह.व जिला-पांडुर्णा, मध्य प्रदेश का दिनांक 23.07.2024 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 22.01.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 11.03.2025 को दोपहर पश्चात सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे)  
उप-निदेशक

ई-मेल: rk.dubey@ncst.nic.in  
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्रीमती समरबतीबाई धुर्वे,  
सरपंच, ग्राम पंचायत- चिमनखापा,  
तह.व जिला-पांडुर्णा, मध्य प्रदेश



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

### National Commission for Scheduled Tribes

( भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय )

( A Constitutional body exercising power of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India )

( मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्ल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय )

(REGIONAL OFFICE FOR MADHYA PRADESH, MAHARASHTRA, KARNATAKA, KARELA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-3759/MP/599/2024-RO-BII

दिनांक: 22/01/2025

- श्री अजय देव शर्मा  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
कलेक्टर कार्यालय,  
पांडुरना, मध्य प्रदेश -480334  
Email Id: [dm.pandhurna@mp.gov.in](mailto:dm.pandhurna@mp.gov.in)  
Tel. No: 07164299044

**विषय:** शासकीय भूमि प्राथमिक शाला मैदान पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर पक्का मकान निर्माण किया गया, उसे हटाने के संबंध में- श्रीमती समरबतीबाई धुर्वे, सरपंच, ग्राम पंचायत- चिमनखापा, तह.व जिला- पांडुरना म.प्र. से प्राप्त अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती समरबतीबाई धुर्वे से दिनांक 23/07/2024 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है. अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलो और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्रीमती समरबतीबाई धुर्वे, सरपंच,  
कार्यालय ग्राम पंचायत- चिमनखापा,  
तह. व जिला- पांडुरना म.प्र.,

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित  
जनजाति आयोग भोपाल  
Office of the Director, National  
Commission for Sch. Tribes, Bhopal  
प्रेषण संख्या / Issue No. 182/183  
दिनांक / Date 23/01/25

(अंकित कुमार सेन)  
अनुसंधान अधिकारी